संख्या : 59 | 1/2005-05-1/वी0का0/03

प्रेषक :

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव (ऊर्जा),
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभाग : देहरादून : दिनांक 05 फरवरी,2005

विषय :– ऊर्जा विभाग की मासिक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माह फरवरी, 2005 में सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग (उरेडा सहित) की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 14–2–2005 को निम्न कार्यक्रमानुसार होगी :

गढ़वाल मण्डल के जनपद – प्रातः 10.30 – 12.00 बजे तक।
कुमाऊं मण्डल के जनपद – दोपहर 12.00 – 1.30 बजे तक।

उक्त कॉन्फ्रेन्सिंग में वर्ष 2004–05 के लिये लक्ष्यों/प्रगति की समीक्षा मुख्य रुप से की जायेगी।

ऊर्जा विभाग की कॉन्फ्रेन्सिंग हेतु पूर्व से निर्धारित किये गये प्रारुप पर सूचनायें पहले से तैयार कर जनपद स्तर से तथा उ0पा0का0लि0 स्तर से (सभी जनपदों हेतु) पृथक–पृथक सूचनायें शासन को उपलब्ध करा दी जाय। साथ ही संलग्न बिन्दुओं पर भी अद्यतन स्थिति की चर्चा उक्त अवसर पर की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में उ0ज0वि0नि0लि0 द्वारा किये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी उक्त अवसर पर की जायेगी।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या : 591(1) I/2004-05-1/वी0का0/03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त कुमांऊ / गढ़वाल को सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, सिंचाई को इस अपेक्षा सहित कि सिंचाई विभाग की जनपदवार समीक्षा हेतु प्रपत्र तैयार कराकर (सचिव की सहमति से) जनपदों एवं विभागाध्यक्ष को पूर्व में ही सूचित करने का कष्ट करें।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, UPCL एवं प्रबन्ध निदेशक, PTCUL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, लघु जल विद्युत, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
6. उप–मुख्य परियोजनाधिकारी, उरेडा, देहरादून।
7. ✓ प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर को उक्त तिथि एवं समय के अनुसार व्यवस्थायें किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित ।
8. निजी सचिव– सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा को सचिव के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से,

(डॉ0 एस0सी0 जोशी)
अपर सचिव

विडियो कान्फ्रेन्सिंग दिनांक 14–02–2005 हेतु बिन्दु

1. ग्रामीण विद्युतीकरण प्रगति, विद्युत आपूर्ति की स्थिति, वर्ष के कारण क्षति/आपूर्ति व्यवधान व उसका निराकरण।
2. कुटीर ज्योति संयोजन प्रगति।
3. मीटर बदलना, खराब मीटरों का प्रतिस्थापन।
4. ऊर्जा एकाउन्ट/ऑडिट।
5. वसूली।
6. ए0पी0डी0आर0पी0, नाबार्ड/आर0ई0सी0 योजना के अधीन कार्यों की प्रगति।
7. जे0ई0 को फीडर मैनेजर बनाया जाना, फीडर/उपखण्ड/खण्ड स्तर पर प्रथक शैड्रो तुलन पत्र बनाना।
8. ग्रामीण विद्युतीकरण सर्वे कार्य की प्रगति।
9. विद्युतीकरण की नई योजना हेतु डी0पी0आर0 तैयार करना।
10. ग्रामों में विद्युत आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों को तैयार करना/फ्रैन्चाईजी व्यवस्था।
11. उपभोक्ताओं की समस्यायें व उनका निराकरण।